कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क्र./759/विद्युत/2019 — सिस्टम टेंडर क्र. 51663 — कोरबा, दिनांक 06.06.2019

ई– प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग, छ.रा.वि.मडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंड़ल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत/लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु शेडयूल अनुसार आईटम दर पर ई–प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रू में	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	बांकी मोंगरा जोन एवं सर्वमंगला नगर जोन अंतर्गत सड़क बत्ती एंव लाईटों के संचालन एवं संधारण कार्य	5,76,000/–	4,350/–	12 माह	वर्ग अ– श्रेणी	28.06.2019 से ......

शर्ते :–

1. निविदा दरे मासिक/वार्षिक दर के आधार पर ही भरी जावे, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा ई–प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 5.30 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाएें स्वीकार नही की जावेंगीं।
3. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।
4. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को ऊचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यो की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम सबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि को स्केन कापी ऑनलाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा उन्ही ठेकेदारो को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यो का अनुभव हो।
6. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
7. ठेके से संबंधित निविदा उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
8. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
9. सम्पूर्ण किए गए कार्यो के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में रोकी जावेगी।
10. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
11. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
12. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
14. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम ,कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते है

कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		06.06.19	20.30	06.06.19	20.30	Release Tender
2		Bid Submission	06.06.19	20.30	27.06.19	17.30	
3	Tender Open		28.06.19	10.30	--	--	

EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

ABSTRACT

विषय :– निगम क्षेत्रान्तर्गत बांकीमोंगरा जोन एवं सर्वमंगला नगर जोन सड़क बत्ती कार्य एवं लाइटों के संचालन एवं संधारण कार्य।

No.	Item Of Work	Unit	Qty
1	निगम क्षेत्रान्तर्गत बांकीमोंगरा जोन एवं सर्वमंगला जोन में मुख्य मार्गो एवं वार्डो में विभिन्न प्रकार के विद्युत संधारण/मरम्मत एवं केबल मेंटनेंस एवं लाईटों के संचालन एवं संधारण कार्य।	Job	Per Month
	1. सड़क रोशनी व्यवस्था अन्तर्गत केबल सुधार एवं सुंधारण, जंक्शन बॉक्स, खराब मेन स्वीच सुधार/स्थापना ऑपरेटिंग पेनल का मरम्मत, बदलने का कार्य तथा आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट निकलने एवं लगाने एवं स्ट्रीट लाईट चालू बंद करने का कार्य।		
	2. भवनों की वायरिंग में सुधार कार्य, पंखे बदलने एवं भवन से संबंधित समस्त विद्युत कार्य।		
	3. निगम क्षेत्रान्तर्गत समय–समय पर सार्वजनिक स्थानों में विभिन्न प्रकार के आयोजनों हेतु अस्थाई विद्युत/प्रकाश व्यवस्था कार्य।		
	टीप – उपरोक्तानुसार कार्य हेतु लगने वाले नये विद्युत सामग्रियों निगम द्वारा प्रदाय की जावेगी।		
	Total Rs.		
	12 Month Total Rs.		

T.S.No/759/Ele./date 23/5/2019

सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

कार्य की प्रकृति, नियम एवं शर्ते

1 स्ट्रीट लाईट की सप्लाई देने के लिए बिछाये गये अण्डर ग्राउण्ड आरमेड केबल सुधार, बदलने एवं बिछाने का कार्य भी ठेकेदार का होगा, यदि नई केबिल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो निगम द्वारा प्रदान की जावेगी।

2 यदि रात में स्ट्रीट लाईट के सर्किट/कन्ट्रोल पैनल में खराबी आती है तो उसे रात में ही सुधारने की जबावदारी ठेकेदार की होगी, ताकि स्ट्रीट लाईट रात्रिकालिन बंद न हो।

3 ठेकेदार द्वारा मेंटेनेस कार्य में लगाये गये लाईन मेन के पास वायरमेन का लाईसेंस होना अनिवार्य है एवं हेल्पर जिसके पास विद्युत कार्य का अनुभव प्रमाण होना अनिवार्य है।

4 ठेकेदार द्वारा मेंटेनेस कार्य में रखे कर्मचारियों की आयु 18 से 38 होनी चाहिए। कम एवं अधिक उम्र के कर्मचारी नही रखे जा सकेगें।

5 ठेकेदार को छ.ग. में प्रचलित लेबर एक्ट तथा मजदूरी एक्ट की धाराओं एवं नियमों का पालन करना होगा एवं उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नही होगा। कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1960 व कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1969 के तहत नियमों का पालन करना होगा। कार्य अन्तर्गत रखे गये इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर की सुरक्षा बीमा, चिकित्सा सुविधा बोनस, प्रेाविडेन्ट फंड एवं किसी प्रकार के दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु इत्यादि होने पर समस्त जिम्मेदार ठेकेदार की होगी।

6 ठेकेदार को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा साधन जैसे सेफ्टी शूज, हेल्मेंट, रबर हैण्ड, ग्लोब्स, सेफ्टी बेल्ट, दिया जाना आवश्यक है। बिना सुरक्षा उपकरणों के सुधार कार्य की अनुमति प्रदान नही की जाएगी। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी कार्य के दौरान सुरक्षा साधन का इस्तेमाल करें और ठेकेदार अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि कार्य के दौरान सुधार कर्मीयों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

7 निदान–1100 से प्राप्त होने वाले शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर 24 घण्टे के भीतर किया जाना आवश्यक है। यदि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता एवं कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

8 ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य अन्तर्गत विद्युत खम्भे की एल.टी./11 के.व्ही. विद्युत लाईन को चालू बंद करने हेतु विद्युत मण्डल कार्यालय से संपर्क कर पूर्ण किया जाना हैं एवं कार्य से पूर्व अनुमति संबंधित विभाग के कार्य प्रभारी द्वारा लिया जाना आवश्यक है यदि ऐसा नही किया जाता तो दुर्घटना की स्थिति में इसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

उप अभियंता नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)	सहायक अभियंता नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)	कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)